फर्म गुलाम हुसैन हाजी याकूब एंड संस

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान

[19 अप्रैल, 1962]

(बी. पी. सिन्हा, सी. जे., पी. बी. गजेंद्रगडकर, के. एन. वांचू, एन. राजगोपाल अयंगर और टी. एल. वेंकटरामा अय्यर, जे.जे.)

सीमा शुल्क – चारकोल का निर्यात – सिरोही अल्पसंख्यक प्रशासन के लिए देयता–रीजेंसी अधिनियम लागू करने वाले राज्य परिषद आदेश की वैधता, 1947, 8. 9– राजस्थान अध्यादेश (1949 का नंबर 16), धारा 4 (2)।

अपीलकर्ता फर्म को राज्य सिरोही से चारकोल निर्यात करने के लिए सीमा शुल्क के रूप में 24,395 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था और चूंकि उसने राशि जमा नहीं की थी, इसलिए सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुरोध पर सिरोही के कलेक्टर ने सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के तहत उक्त राशि की वसूली के लिए एक नोटिस जारी किया। अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया। इसका मामला यह था कि सिरोही राज्य परिषद का चारकोल के निर्यात पर /– 8/– प्रति मौंड की दर से सीमा शुल्क लगाने का आदेश अमान्य और असंवैधानिक था। प्रतिवादी का मामला यह था कि उक्त शुल्क राज्य परिषद द्वारा पारित और राजमाता द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर वैध रूप से लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया और याचिका खारिज कर दी। सवाल यह था कि क्या 31 मई, 1948 का आक्षेपित आदेश, जिसे 15 मई, 1948 के परिषद के प्रस्ताव के अनुसरण में पारित किया गया था, जिसमें चारकोल के निर्यात पर पहली बार सीमा शुल्क लगाया गया था, वैध रूप से जारी किया गया था।

माना कि राज्य परिषद के पास विधायी शक्ति नहीं थी; सिरोही अल्पसंख्यक प्रशासन, 1947 के लिए रीजेंसी अधिनियम के पारित होने के बाद, यह केवल रीजेंसी बोर्ड की मंजूरी से एक कानून पारित कर सकता था,

जिसकी अध्यक्ष राजमाता साहेबा थीं; चूंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि बोर्ड ने आदेश को मंजूरी दे दी थी, इसलिए इसे अमान्य माना जाना चाहिए।

यह कहना सही नहीं था कि राज माता बोर्ड से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, यह बोर्ड अकेला था जो सामूहिक रूप से कानून बना सकता था या कार्यकारी आदेश पारित कर सकता था। उच्च न्यायालय का यह विचार कि राजमाता को राज्य के रूप में वास्तविक शासक के रूप में माना जा सकता है, स्पष्ट रूप से गलत था, न ही अपीलकर्ता पर लेवी को राजस्थान अध्यादेश (1949 की संख्या 16) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बनाए रखा जा सकता था, जिसका कोई आवेदन नहीं था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 300 का 60.

1957 के डीबीसी रिट आवेदन संख्या 58 में राजस्थान उच्च न्यायालय के 13 नवंबर, 1958 के फैसले और आदेश से अपील। अपीलकर्ता के लिए चांदमल लोढ़ा और बृजबंस किशोर।

प्रतिवादी की ओर से एस. के. कपूर और डी. गुप्ता।

1962. 19 अप्रैल। न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा सुनाया गया था?

अपीलकर्ता, फर्म गुलाम हुसैन हाजी याकूब एंड संस ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें निषेध या अन्य रिट या उचित आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की गई, यह घोषणा करते हुए कि वह सिरोही के नियंत्रक द्वारा 9 फरवरी के अपने आदेश द्वारा उस पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। 1956. ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद सगीर ने 12 जुलाई, 1946 को निबाज के ठाकुर से हरानी अमरापुरा के जंगल में जाने का ठेका लिया था। इस अनुबंध की अवधि पांच साल थी और अनुबंध का उद्देश्य ठेकेदार को लकड़ी का कोयला तैयार करने में सक्षम बनाना था। यह अनुबंध बाद में 13 सितंबर, 1948 को उक्त सगीर द्वारा अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दिया गया था। यथासमय निबाज के ठाकुर द्वारा अनुबंध को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और 15 अप्रैल, 1950 को इस आशय का अनुमोदन किया गया। इस अनुबंध के तहत, अपीलकर्ता ने लकड़ी का कोयला तैयार किया और इसे सिरोही राज्य से बाहर निर्यात किया। असिस–तांत आयुक्त, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, सिरोही ने यह विचार व्यक्त किया कि अपीलकर्ता उसके द्वारा निर्यात किए गए चारकोल की मात्रा पर सीमा शुल्क @ एएस –/8/– प्रति माह का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। सहायक आयुक्त ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा इस प्रकार निर्यात किया गया चारकोल 27,003 एमडीएस था। तदनुसार, उक्त सहायक। आयुक्त ने 11 फरवरी, 1954 को आयोग को एक रिपोर्ट दी। इसके बाद सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के उपायुक्त ने मामले को निपटाया और उन्होंने आदेश पारित किया कि अपीलकर्ता ने शुल्क का भुगतान किए बिना लकड़ी का कोयला निर्यात किया था।

यह आदेश 17 दिसंबर, 1954 को दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर द्वारा किए गए निष्कर्ष के अनुसार, 30 नवंबर, 1948 के बाद अपीलकर्ता द्वारा निर्यात किया गया लकड़ी का कोयला 48,650 मौंड था। इस आधार पर, अपीलकर्ता को चारकोल के निर्यात पर शुल्क के रूप में 24,325 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। अपीलकर्ता ने सरकार से अपील करके इस आदेश की शुद्धता को चुनौती दी, लेकिन 24 मई, 1956 को इसकी अपील खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता को इस आदेश के बारे में 5 अप्रैल, 1957 को पता चला, जब तहसीलदार द्वारा उस पर आकलित शुल्क को ब्याज के साथ जमा करने के लिए कहा गया। चूंकि अपीलकर्ता ने राशि जमा नहीं की थी, इसलिए सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस बीच, उक्त राशि की वसूली के लिए सिरोही के कलेक्टर से अनुरोध किया था, और कलेक्टर ने 9 फरवरी, 1956 को सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया था। यह इस नोटिस की वैधता है जिसे अपीलकर्ता ने अपनी वर्तमान रिट याचिका द्वारा चुनौती दी है। अपीलकर्ता का मामला यह था कि सिरोही की राज्य परिषद द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा चारकोल पर सीमा शुल्क @As/8/– लगाया गया था, अमान्य और अति विकट था और इसलिए, यह सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए अपीलकर्ता द्वारा निर्यात किए गए चारकोल पर कोई शुल्क लगाने के लिए सक्षम नहीं था और उक्त शुल्क की वसूली के लिए मांग नोटिस जारी करने के लिए कलेक्टर के लिए सक्षम नहीं था। सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के तहत। दूसरी ओर, प्रतिवादी, राजस्थान राज्य ने अपीलकर्ता के आरोप की शुद्धता पर विवाद किया कि शुल्क अवैध रूप से लगाया गया था। प्रतिवादी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि उक्त शुल्क राज्य परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा वैध रूप से लगाया गया था, जिसे महामहिम श्री राजमाता साहेबा द्वारा अनुमोदित किया गया था, चूंकि उक्त संकल्प को एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पारित किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता पर लगाए गए शुल्क की लेवी वैध थी और कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के तहत मांग का नोटिस जारी करना उचित था।

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा की गई याचिका को बरकरार रखा है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया है। अपीलकर्ता ने तब उच्च न्यायालय से एक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और प्राप्त किया और यह उक्त प्रमाण पत्र के साथ है कि वह अपनी वर्तमान अपील द्वारा इस न्यायालय में आया है।

सिरोही राज्य में सीमा शुल्क शुल्क 1944 के सिरोही सीमा शुल्क अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है कि: "इसके बाद के प्रावधान को छोड़कर, सिरोही राज्य में या रेल द्वारा सिरोही राज्य में या उससे बाहर माल (राज्य से संबंधित वस्तुओं सहित) के आयात या निर्यात के समय सीमा शुल्क ऐसी दरों पर लगाया जाएगा जो सिरोही सीमा शुल्क टैरिफ में निर्धारित हैं। सड़क हो या हवा". इस प्रकार यह देखा जाएगा कि 8. 14 जो कि प्रभार अनुभाग है, में यह प्रावधान है कि टैरिफ में उल्लिखित वस्तुओं पर सीमा शुल्क उसके द्वारा निर्धारित दरों पर लगाया जाएगा। इसका परिणाम यह है कि प्रशुल्क में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में और उसमें विनिदष्ट दरों पर ही सीमा शुल्क लगाया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 15 ने दरबार को टैरिफ दरों को तय करने और बदलने की शक्ति प्रदान की। इसमें कहा गया है कि दरबार समय–समय पर सिरोही राज्य राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आपातकालीन मामलों को छोड़कर, टैरिफ में निर्धारित दरों में परिवर्तन कर सकता है और ऐसी परिवर्तित दरें अधिसूचना में

उल्लिखित तारीख से लागू होंगी, या, अधिसूचना के संबंधित किसी सीमा शुल्क पोस्ट तक नहीं पहुंचने की स्थिति में, ऐसी तारीख से अगली तारीख पर। इस धारा का प्रभाव यह है कि प्रशुल्क दरों को निर्धारित करने और उनमें परिवर्तन करने की शक्ति दरबार को प्रदान की गई है जिसके लिए सामान्यतया इस संबंध में अधिसूचना जारी करना अपेक्षित होता है। उच्च न्यायालय ने सोचा कि धारा 14 और 15 को एक साथ पढ़ने के परिणामस्वरूप, दरबार के लिए न केवल उन दरों को बदलने के लिए खुला था जिन पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है, बल्कि टैरिफ में उल्लिखित कर योग्य वस्तुओं के तहत नई वस्तुओं को भी शामिल करना है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। दरबार को 8 द्वारा प्रदान की गई शक्ति। 15 टैरिफ दरों को तय करना और बदलना है। दरबार को टैरिफ में ही कर योग्य वस्तुओं की सूची में जोड़ने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। जिन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है, उन्हें अधिनियम से संबद्ध टैरिफ में विनिदष्ट किया गया है और धारा 15 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के आधार पर दरबार द्वारा इस संबंध में उक्त टैरिफ में कोई अतिरिक्त राशि नहीं जोड़ी जा सकती है। इस स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं है।

इस स्तर पर, यह जोड़ना प्रासंगिक है कि 1944 के अधिनियम द्वारा निर्धारित टैरिफ में, लकड़ी का कोयला वस्तुओं की सूची में शामिल है, जिसके आयात पर सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, यह उन वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं है जिनके निर्यात पर सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। यह स्थिति विवादित नहीं है। इसलिए, लकड़ी का कोयला के निर्यात को सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, प्रतिवादी को उस संबंध में कुछ विधायी अधिनियमन पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि 1940 में, सिरोही राज्य के शासक ने राज्य परिषद और इसके कार्यों और कर्तव्यों को अस्तित्व में लाया और इसके अधिकारों को राज्य राजपत्र में विधिवत अधिसूचित किया गया। वह परिषद जिसे राज्य परिषद के रूप में नामित किया गया था। सिरोही में राष्ट्रपति के रूप में महामहिम, उपराष्ट्रपति के रूप में मुख्यमंत्री और समय–समय पर महामहिम नियुक्त किए जाने वाले अन्य सदस्य शामिल थे। परिषद का सामान्य कामकाज राष्ट्रपति के नियंत्रण में होना था, जो नियम 9 के तहत, यदि मामला तत्काल था, तो परिषद की ओर से कार्य करने का अधिकार दिया गया था, बशर्ते कि परिषद को राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जल्द से जल्द विधिवत सूचित किया गया हो। अधिसूचना के नियम 11 में प्रावधान किया गया है कि अनुसूची 1 में उल्लिखित इस प्रकार के सभी मामलों को अंतिम आदेश पारित करने से पहले निर्णय के लिए परिषद को भेजा जाएगा, जैसा कि नियम 9 में प्रावधान किया गया है। अब, अनुसूची । में निर्दिष्ट मामलों में किसी भी नए कराधान, या कराधान में परिवर्तन या उन्मूलन का विषय शामिल है। यह उक्त अनुसूची की प्रविष्टि 7 है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि नियम 11 के तहत किसी भी नए कराधान या परिवर्तन या उन्मूलन के प्रस्ताव पर विचार करना परिषद की क्षमता के भीतर था और उस बिंदु पर परिषद द्वारा निर्णय के आलोक में अंतिम आदेश पारित करना शासक का काम था। नियम 11 यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि अनुसूची 1 में प्रविष्टि 7 द्वारा कवर किए गए विषयों पर निर्णय लेने के लिए परिषद सक्षम थी, लेकिन यह शासक के लिए अंतिम आदेश पारित करने के लिए था जो निर्णय को प्रभावी बनाएगा। दूसरे शब्दों में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुसूची । द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में परिषद की शक्ति सलाहकार से अधिक नहीं थी; यह हमेशा शासक को तय करना था कि परिषद को उसके निर्णय के लिए भेजे गए मामलों के संबंध में क्या अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए। परिषद को प्रदत्त शक्ति का स्वरूप और कार्यक्षेत्र यही है।

चूंकि राज्य के शासक, महामहिम महाराजाधिराज महाराव ताज सिंहजी बहादुर, 947 में नाबालिग थे, इसलिए 14 अगस्त, 1947 को सिरोही अल्पसंख्यक प्रशासन के लिए रीजेंसी अधिनियम को पारित करने की मंजूरी देने में उनकी कृपा थी। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि इसे 14 अगस्त, 1947 को लागू किया जाना था और शासक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जारी रहना था। अधिनियम की धारा 3 में यह निर्धारित किया गया है कि सिरोही राज्य के संविधान के प्रयोजन के लिए, "शासक" शब्द, जहां भी संविधान में आता है, को रीजेंसी बोर्ड माना जाएगा। धारा 4 में रीजेंसी बोर्ड के गठन का प्रावधान था। इसमें सिरोही की महारानी साहेबा, दांता के महाराणा श्री सर भवानी सिंहजी बहादुर और मांडर के राज साहबान श्री भोपाल सिंहजी शामिल होने वाले थे। अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान किया गया था कि रीजेंसी बोर्ड शासक का कानूनी संरक्षक होगा। इस अधिनियम के पारित होने के बाद, शासक के कार्यों का निर्वहन रीजेंसी बोर्ड द्वारा किया गया था, जो सभी संवैधानिक और कानूनी उद्देश्यों के लिए, अपने अल्पसंख्यक के दौरान शासक का प्रतिनिधित्व करता था। इस अधिनियम के भौतिक प्रावधानों के अनुसरण में, रीजेंसी बोर्ड का गठन करते हुए उसी दिन अधिसूचना जारी की गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब 31 मई, 1948 को कोयले पर शुल्क लगाने का आदेश पारित किया गया था, तो संवैधानिक स्थिति यह थी कि राज्य का शासन रीजेंसी बोर्ड को सौंपा गया था; और रीजेंसी बोर्ड के तहत राज्य परिषद काम कर रही थी जिसे 1940 में पिछले शासक द्वारा गठित किया गया था। यह इस संवैधानिक स्थिति के आलोक में है कि अपीलकर्ता पर सीमा शुल्क के आक्षेपित लेवी की वैधता के बारे में सवाल का न्याय किया जाना चाहिए,

31 मई, 1948 को एक आदेश पारित किया गया जो 15 मई, 1948 के परिषद संकल्प के अनुसरण में जारी किया गया था, जिसके लिए महामहिम श्री राज माता साहेबा से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इस आदेश के परिणामस्वरूप, हड्डियों, ऊन, लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के संबंध में विनिदष्ट वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क और चारकोल के निर्यात के संबंध में एक नया शुल्क लगाया गया था। यह शुल्क @ एएस –/8/– प्रति मौंड लगाया गया था। जैसा कि हम पहले ही जल्द ही देख चुके हैं, यह सामान्य आधार है कि 1944 के अधिनियम द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार, लकड़ी का कोयला वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं था, जिसका निर्यात सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी था। वर्तमान अपील में निर्णय की मांग करने वाला प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार जारी किया गया आदेश वैध है; और इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि लकड़ी के कोयले पर सीमा शुल्क लगाना किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा लगाया गया है या नहीं जो इस तरह के आदेश जारी करने के लिए विधायी रूप से सक्षम था। यदि लेवी का आदेश केवल राज्य परिषद द्वारा बोर्ड ऑफ रीजेंसी की मंजूरी के बिना दिया गया है, तो यह अमान्य होगा क्योंकि यह कानून पारित करने के लिए राज्य परिषद के लिए सक्षम नहीं था। किसी भी नए अनुच्छेद पर सीमा शुल्क लगाने के बारे में निर्णय के सवाल पर पहुंचने के लिए राज्य परिषद के लिए खुला था, लेकिन उस निर्णय को रीजेंसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किया जाना था, जो अकेले आवश्यक विधायी शक्ति से लैस था। इसलिए, आदेश की वैधता केवल तभी कायम रखी जा सकती है जब यह दिखाया जाए कि यह रीजेंसी बोर्ड के अनुमोदन से पारित किया गया है, जिसकी श्री राज माता साहेबा अध्यक्ष थीं।

इस प्रश्न से निपटने में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आदेश औपचारिक रूप से यह नहीं कहता है कि श्री राज माता साहेबा ने रीजेंसी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आदेश को मंजूरी दी थी। आदेश राज्य परिषद के सचिव द्वारा जारी किया गया है और रीजेंसी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस

आदेश में रीजेंसी बोर्ड का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है और यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि श्री राजमाता साहेबा, जब उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी, बोर्ड की ओर से कार्य कर रही थीं। यदि रीजेंसी बोर्ड की ओर से आदेश औपचारिक रूप से पारित किया गया था, तो प्रतिवादी के लिए यह तर्क देना खुला होगा कि यह धारणा होनी चाहिए कि यह रीजेंसी बोर्ड द्वारा विधिवत पारित किया गया था और उक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्य के नियमों के अनुसार प्रख्यापित किया गया था। लेकिन चूंकि यह आदेश रीजेंसी बोर्ड की ओर से या रीजेंसी बोर्ड के लिए काम करने वाले श्री राज माता साहेबा की ओर से जारी नहीं किया गया है, इसलिए यह जांच करना आवश्यक है कि क्या वास्तव में, रीजेंसी बोर्ड ने इस आदेश को मंजूरी दी थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक इस जांच का संबंध है, प्रतिवादी ने अदालत के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी है जो उसे अनैतिक की वैधता के पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करेगी।

वास्तव में, प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के दावे की शुद्धता पर विवाद करते हुए यह दलील दी गई थी कि श्री राज माता साहेबा रीजेंसी बोर्ड की अध्यक्ष थीं और जब भी उन्होंने कार्य किया, उन्होंने बोर्ड की ओर से ऐसा किया और यह उन पर था कि वे अन्य सदस्यों से सलाह लें। इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि इन परिस्थितियों में, यह माना जाएगा कि उन्होंने अन्य सदस्यों के परामर्श से आदेश पारित किए हैं जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। यह महत्वपूर्ण है कि यह याचिका इस धारणा पर आगे बढ़ती है कि श्री राज माता साहेबा के पास रीजेंसी बोर्ड से परामर्श करने या नहीं करने का विकल्प था। प्रतिवादी का मामला यह प्रतीत होता है कि रीजेंसी बोर्ड की अध्यक्ष होने के नाते राज माता राज्य की सरकार से संबंधित मामलों में कार्यकारी या विधायी रूप से स्वयं कार्य कर सकती हैं और यह उन्हें तय करना है कि उन्हें बोर्ड के अन्य सदस्यों से परामर्श करना चाहिए या नहीं। प्रतिवादी द्वारा निर्धारित मामला यह नहीं है कि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राजमाता ने बोर्ड की ओर से कार्य करने से पहले हमेशा बोर्ड से परामर्श किया। इसके विपरीत, यह दलील यह प्रतीत होती है कि राजमाता बोर्ड से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं थी और कार्यकारी या विधायी आदेश पारित करने में बोर्ड से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती थी। इस दलील के कारण, हमारे लिए इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि राजमाता की मंजूरी, जिसके लिए आक्षेपित आदेश का संदर्भ दिया गया है, को सुरक्षित रूप से राज माता की मंजूरी के रूप में लिया जा सकता है, जब उन्होंने उस संबंध में बोर्ड से परामर्श किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिरोही रीजेंसी अधिनियम के परिणामस्वरूप, राज्य का शासन बोर्ड ऑफ रीजेंसी के हाथों में छोड़ दिया गया था और यह अकेले रीजेंसी बोर्ड था जो सामूहिक रूप से कार्य कर रहा था जो कानून बना सकता था या कार्यकारी आदेश पारित कर सकता था। यदि राज माता का यह विचार था कि वह बोर्ड से परामर्श किए बिना स्वयं कार्य कर सकती है। यह अधिनियम के भौतिक प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से असंगत था। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं कि आक्षेपित आदेश को रीजेंसी बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रीजेंसी अकेले आवश्यक विधायी अधिकार के साथ तैयार किया गया था। जब तक बोर्ड ने संकल्प पारित नहीं किया, तब तक यह सिरोही राज्य में कानून के रूप में प्रभावी नहीं हो सकता था। राज्य परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव को राज माता का अनुमोदन इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली दुर्बलता का इलाज नहीं कर सकता है कि राज्य परिषद के पास कोई विधायी शक्ति नहीं थी।

ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय का मानना है कि चूंकि राज माता ने विलय का समझौता किया है, इसलिए उसे राज्य के वास्तविक शासक के रूप में माना जा सकता है और इस तरह, वह आक्षेपित आदेश पारित

करने के लिए आवश्यक विधायी शक्ति का उपयोग करने के लिए सक्षम थी। हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि विलय के दस्तावेज पर राज माता द्वारा स्वयं को रीजेंसी बोर्ड का अध्यक्ष बताते हुए हस्ताक्षर किए गए हैं; लेकिन उच्च न्यायालय ने सोचा कि चूंकि दस्तावेज पर बोर्ड द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, इसलिए राज माता को राज्य के वास्तविक शासक के रूप में माना जा सकता है।

यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। चूंकि राज माता रीजेंसी बोर्ड की अध्यक्ष थीं, इसलिए बोर्ड की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना उनके लिए सक्षम था और उन्होंने बोर्ड ऑफ रीजेंसी के अध्यक्ष के रूप में इस पर हस्ताक्षर करने का दावा किया क्योंकि उन्होंने बोर्ड से परामर्श किया था और यह बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप था कि उन्होंने दस्तावेज को निष्पादित करने और बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए, इस तर्क में कोई दम नहीं है कि बोर्ड की सहमति के बिना अकेले राजमाता आक्षेपित आदेश को पारित करने के लिए वैध रूप से मंजूरी दे सकती थी। परिणामस्वरूप, हमें यह कहना चाहिए कि लागू आदेश वैध रूप से पारित नहीं किया गया है और अपीलकर्ता पर उस चारकोल के संबंध में कानूनी रूप से सीमा शुल्क की कोई लेवी नहीं लगाई जा सकती है जिसे उसने सिरोही राज्य से बाहर निर्यात किया है।

हालांकि, यह आग्रह किया जाता है कि चारकोल के निर्यात के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए शुल्क को राजस्थान अध्यादेश (1949 की संख्या 16) के प्रावधानों के तहत बनाए रखा जा सकता है। उक्त अध्यादेश की धारा 4(2) ने सरकार को कोई भी संशोधित टैरिफ जारी करने के लिए अधिकृत किया और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 10 अगस्त, 1949 को एक अधिसूचना संख्या 211/एसआरडी जारी की है, जिसके तहत एक संशोधित टैरिफ लगाया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि सीमा शुल्क के शुल्क उक्त संशोधित टैरिफ के अनुसार लगाए और एकत्र किए जाएंगे। उक्त प्रशुल्क की मद संख्या 367 के अनुसार, चारकोल पर निर्यात शुल्क प्रति माह 8/– रुपये था। प्रतिवादी का तर्क यह था कि जब सिरोही राजस्थान का हिस्सा बन गया, तो विचाराधीन अध्यादेश सिरोही पर लागू हुआ और इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ किए गए सीमा शुल्क के दावे को उक्त अध्यादेश के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित ठहराया गया था। यह अध्यादेश 4 अगस्त, 1949 को लागू हुआ।

हमारी राय में, यह तर्क अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। जब अध्यादेश XV। पारित किया गया और लागू हुआ, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पूरे राजस्थान पर लागू होता है क्योंकि यह तब गठित किया गया था, लेकिन सिरोही राज्य प्रासंगिक समय में राजस्थान का हिस्सा नहीं था और यह 25 जनवरी, 1950 की तुलना में राजस्थान का हिस्सा बन गया। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य मंत्रालय ने अतिरिक्त–प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 (1947 का 47) की धारा 3 की उप–धारा (2) द्वारा भारत सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 जनवरी, 1950 को एक अधिसूचना जारी की और इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति सहित संयुक्त राज्य राजस्थान की सरकार को अतिरिक्त–प्रांतीय क्षेत्राधिकार प्रत्यायोजित किया। (ख) उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस क्षेत्राधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए आदेश देने का प्रावधान है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 25 जनवरी, 1950 तक सिरोही राजस्थान का हिस्सा नहीं था और विचाराधीन अध्यादेश के आवेदन के लिए उत्तरदायी नहीं था। प्रतिवादी ने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि जैसे ही सिरोही राजस्थान का हिस्सा बन गया, विचाराधीन अध्यादेश उस पर लागू हो गया। यह तर्क स्पष्ट रूप से भ्रामक है। जब सिरोही राजस्थान का हिस्सा बन गया, तो सिरोही के विलय से पहले राजस्थान में लागू कानून सिरोही पर तभी लागू हो सकते थे जब उस संबंध में एक

उचित कानून पारित किया गया था। वास्तव में, 1953 में, राजस्थान कानून (सिरोही पर लागू) अधिनियम (1953 का नंबर 3) यह घोषित करने के लिए पारित किया गया था कि सिरोही पर कुछ राजाओं के कानून लागू होते हैं। इस अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान किया गया था कि अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान विधि, जहां तक वे भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूचियों ॥ और ॥। में प्रगणित किसी भी विषय से संबंधित हैं, लागू होंगी, और नियत दिन से, सिरोही प्रशासन आदेश में निहित किसी भी बात के विपरीत होते हुए भी सिरोही पर लागू नहीं मानी जाएंगी, 1948, या किसी अन्य कानून या साधन में। इस धारा का एक परंतुक है जिसके साथ हम वर्तमान अपील के प्रयोजनों के लिए चिंतित नहीं हैं। विचाराधीन अध्यादेश अनुसूची में शामिल नहीं है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि उक्त अध्यादेश सिरोही पर लागू होने का इरादा नहीं था। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि राजस्थान राज्य द्वारा पारित किसी अन्य कानून या उस संबंध में निष्पादित किसी अन्य साधन ने अध्यादेश को सिरोही पर लागू किया हो। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी सिरोही राज्य के खिलाफ सीमा शुल्क की मांग का समर्थन करने के लिए राजस्थान अध्यादेश 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों पर भरोसा नहीं कर सकता है।

नतीजतन, अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता के पक्ष में रिट जारी की जानी चाहिए, जिसमें घोषणा की जाए कि अपीलकर्ता विचाराधीन सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और उप आयुक्त, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के साथ–साथ उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री द्वारा पारित आदेशों और आबकारी अधिकारियों के कहने पर कलेक्टर द्वारा जारी मांग नोटिस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता पूरी कीमत के साथ इसकी लागत का हकदार होगा।

अपील की अनुमति दी गई।